Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 3 | MARCH 2024

भारतीय चुनाव प्रणाली में वर्तमान चुनौतियां एवं सुधार हेतु भारतीय न्यायपालिका के प्रयास : एक अनुचिंतन

सुरेश कुमार [1]

[1] पूर्व सहायक आचार्य-राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय(राजसेस अधीन) शिवगंज, जिला सिरोही

ABSTRACT:

चुनाव विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन सभ्यता स्वयं को किसी सक्षम, समर्थ, सगुण, सुदृढ़ हाथों में सम्पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर देती है और अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, शैक्षिक, पारिवारिक, आत्मिक सभी प्रकार के विकास के लिए अपने चयन के प्रति पूर्णतः तनाव मुक्त हो जाती है। अतः चुनाव व्यवस्था का पारदर्शी होना लोकतंत्रात्मक विकास के लिए अति आवश्यक प्रणाली की व्यवस्थित गतिशीलता चुनाव का ही वरदान है तथा मूल्यों का महत्व तभी तक है जब तक लोकतंत्र का अस्तित्व है। अस्तु चुनाव बीज है, लोकतंत्र भूमि है और मूल्य फल है। चुनाव न तो मूल्यों का सृजक है और न ही परिपोषक। चुनाव मूल्यों की समस्त योजना में एक संयत्र मात्र है। चुनाव लोकतंत्र को निरन्तरता प्रदान करता है उसे गतिशीलता देता है और सही चुनाव लोकतंत्र को सुदृढ व्यक्तित्व प्रदान करता है जो समस्त जीवनमूल्यों, नैतिक आदर्शों, उन्नति, पारदर्शिता, प्रगति, विकास, संरक्षण, उच्च वैचारिक बौद्धिक सोच, दूरदर्शी दृष्टिकोण, वैश्विक आर्थिक संपन्नता आदि विभिन्न आयामों से मण्डित होता है। चुनाव के साथ राष्ट्र द्वारा असीमित मूल्यों को सार्थक नियति प्रदान करने की आशा स्वतः संयुक्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अतः यह आधारभूत कठिनाई सामने आती है कि चुनाव कैसे करवाएँ जाएं जो निष्पक्ष स्पष्ट और सही चयन से युक्त हों। विशेषतः भारत जैसे देश में जहाँ बड़ी संख्या में मतदाता निरक्षर हैं, चुनाव व्यवस्था में बहुत सी जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। चुनाव की नींव पर ही लोकतंत्र का भवन खड़ा होता है। इसलिए चुनाव में सुधार आज समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही गाँधीजी की यह बात भी ध्यान में रखनी आवश्यक है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। अतः इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में भारतीय चुनाव प्रणाली में विभिन्न जटिलताएं विद्यमान हैं जिनके निवारण के लिए भारतीय न्यायपालिका सतत् कार्यशील और प्रयासरत है।

KEYWORDS:

भारतीयता, चुनाव प्रणाली, वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियां, सुधार, न्यायपालिका, प्रयास, अनुचिंतन।

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
19th March 2024	21st March 2024

प्रस्तावना:-

लोकतंत्र की मर्यादित गत्यात्मकता चुनाव पर निर्भर करती है। चुनाव जनता की इच्छा के संवाहक होते हैं और जनता की इच्छा जनप्रिय सरकार की स्थापना करती है। सरल अर्थों में चुनाव एक लोकतांत्रिक गणराज्य के गठन की प्रक्रिया का वह आवश्यक तत्व है जिसके बिना लोकतंत्र महत्वहीन हो जाएगा अर्थात् चुनाव या 'निर्वाचन लोकतंत्र के प्राण तत्व की भांति है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अर्न्तगत "निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय या संगठन के सदस्य निश्चित नियमों के अनुसार एक या अनेक व्यक्तियों को अपनी ओर से सत्ता का प्रयोग करने के लिए चुनते हैं। चुनाव द्वारा स्थापित सरकार, मतदाताओं के एक संघ के रूप में राज्य की गतिविधियों को संचालित करने के लिए विधितः अधिकृत होती है। जनप्रिय शब्द व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के स्तर और स्वरूप को व्यक्त करता है। यह राजनीतिक जीवन के एक विशिष्ट प्रारूप की अभिव्यक्ति है जो जनप्रिय है, वह जनता की इच्छा है। वस्तुतः जनमानस की आकांक्षा का निष्पादन शासन के द्वारा किया जाता है। अतः निश्चित है कि, लोकतंत्र और निर्वाचन परस्पर अन्योन्याश्रित होते है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के जीवनदायी तत्व होते है. इसके बिना लोकतंत्र में परिवर्तन की हलचल संभव नहीं है। किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग ही सरकार के निर्माण और परिवर्तन का प्रमुख साधन है।

वर्तमान परिदृश्य :-

वर्तमान परिदृश्य में यदि दृष्टि डालें तो इस संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य, सशक्त और समृद्धशाली बनाने के लिए हर ओर प्रयास जारी है। अतः चुनाव सुधार इसी का एक हिस्सा है। जहाँ राष्ट्र में चारों ओर अनेक प्रकार की विषमताएं विद्यमान हैं जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यावरणिक, धार्मिक, सांप्रदायिक आदि विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। हर क्षेत्र पर अगर गहराई से दृष्टिपात किया जाए तो अनेक विसंगतियां सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। कोई व्यक्ति किसी दृष्टि से सरकार के विरोध में खड़ा है तो अन्य कोई उस दृष्टि से सरकार का समर्थन कर रहा है। कोई चुनाव प्रक्रिया को गलत ठहरा रहा है तो कोई चुनावी परिणामों पर आलोचना कर रहा है तो अन्य कोई सम्पूर्ण चुनाव आयोग को ही विजेता प्रत्याशियों की जालसाजी का नाम देकर उसे उनकी कठपुतली बता रहा है। अतः इस प्रकार की विसंगतियो के कारण चुनाव प्रणाली निरंतर चुनौतियों से परिपूर्ण होती जा रही है।

वास्तविकता यह है कि, राजनीतिक क्षेत्र अनेक दलों से विद्यमान हैं जिसमें किसी एक दो को छोड़कर प्रत्येक दल केवल अपने स्वार्थ की लिप्सा के लिए कार्यरत हैं। ऐसे में जनता के द्वारा एक सही प्रत्याशी का चयन कर पाना जितना कठिन है जो जन मात्र के हितों को पहचाने और जनकल्याण के लिए गतिशील हो, उतना ही कठिन चुनाव व्यवस्थाओं को पारदर्शिता के साथ स्थापित करना भी। 2021 में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार को लेकर के एक बिल दोनों सदनों में पारित कराया गया। इसके कानून बनने के बाद मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड आपस में जुड़ गए। जिससे दोहरे और फर्जी मतदाताओं की पहचान कर पाना सरल हो गया। चुनावी व्यवस्था को एक सुदृढ़ और निष्पक्ष स्वरूप देने के लिए यह बहुत बड़ा कदम रहा। इस क्रम में एक देश एक चुनाव के साथ एक ही मतदाता सूची की मांग ने मानो चुनावी प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। सो यह तो सत्य है कि किसी लोकतंत्र में जितनी सहजता और पारदर्शिता से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है वह लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ और बेहतर कहलाता है। अतः लोकतंत्र की मर्यादा और सौंदर्य चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता, सुस्पष्टता व पारदर्शिता कड़ी व्यवस्था और कड़े कानूनों पर निर्भर करती है।

भारतीय चुनाव प्रणाली में वर्तमान चुनौतियां :-

सत्ताधारियों द्वारा सरकारी तंत्र का दुरूपयोग –

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की एक गम्भीर समस्या शासक दल और मंत्रियों द्वारा दलीय

लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरूपयोग करना है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही केन्द्रीय और राज्य सरकार का ध्यान विविध संगठित वर्गों को अनेकानेक रियायते और सुविधाएँ देने के माध्यम से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है जो भारतीय चुनावी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है। निर्वाचन के अवसर पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिये अनेक विकास योजनाओं की घोषणा की जाती है जिनमें से अधिकांश कभी क्रियान्वित भी नहीं होती। अनेक कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और पुलों के शिलान्यास किये जाते हैं । सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते आदि में वृद्धि की जाती है, लगान माफ किये जाते हैं और सरकारी भवनों व वाहनों का दुरूपयोग किया जाता है।

निर्वाचन व्यय की समस्या –

भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या निर्वाचनों में धन की बढ़ती हुई भूमिका है। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वर्तमान राजनीति 'धनिकों की हो गयी है। लोकतंत्र का मूल तत्व है कि इसके अन्तर्गत राजनीतिक सत्ता में प्रत्येक नागरिक की समान रूप से भागीदारी होती है। लेकिन लोकतंत्र का यह मूल आधार आज आर्थिक विषमता के कारण ध्वस्त होता जा रहा है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लार्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक 'माडर्न डेमोक्रेसीज' में प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा राजनीति में धन के बढ़ते प्रभाव को बताया था।

राजनीतिक धरातल पर आर्थिक शक्ति और बाहुबल का प्रताप

राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है इस बात की तस्दीक एडीआर की रिपोर्ट दे रही है जिस तरह से राजनीति में पूंजीपतियों और बाहुबलियों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर आजमाइश शुरू की है वह आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए खतरा सिद्ध होगी।

प्रत्याशियों की आर्थिक शक्ति लोक आजादी के लिए चुनौती –

समानता और सर्वकल्याण जैसी संकल्पना लोकतंत्र की मूल भावना में निहित हैं। विडंबना है कि भारतीय राजनीति में यह संकल्पना कहीं गुम हो गई है। यही कारण है कि लोकतंत्र के पर्व चुनाव में गरीब, मजदूर और किसान की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि इस पर्व में सिर्फ पैसा बोलता है।

चुनाव में संवाद की विषम व्यवस्था:

तमाम सावधानियों के बावजूद, बिहार में राजनीतिक दलों के सामने 9 करोड़ मतदाताओं को आकर्षित करने की चुनौती थी। और, चुनाव आयोग को भी इतने ही वोटर्स के मतदान की व्यवस्था करनी थी। इसीलिए, उपरोक्त सावधानियों के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया का संचालन बहुत बड़ी चुनौती बन गया। क्योंकि, किसी भी लोकतंत्र में आदर्श चुनावी प्रक्रिया की पहली शर्त पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव होते हैं।

निर्वाचन नामावलियों से सम्बन्धित त्रुटियाँ –

मतदान की पात्रता रखने वाले किसी क्षेत्र के सभी मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची में शामिल करना निर्वाचन आयोग का दायित्व और अधिकार है । प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक नामावलियों का सही और पूर्ण होना अति आवश्यक है । किन्तु हमारे यहाँ निर्वाचक नामावलियों में कई प्रकार की त्रुटियाँ देखने को मिलती है। जो वर्तमान चुनावी प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती है।

चुनाव सुधार से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद –

- अनुच्छेद 324-329 चुनावों और चुनावी सुधारों के बारे में बताता है।
- अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को दिए गए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अधिकारों के बारे में है।
- अनुच्छेद 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची से न बाहर किया जा सकता है या न ही शामिल किए जाने का दावा कर सकता है।
- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के बारे में बात करता है।
- अनुच्छेद 327 विधानमंडल चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों से संबंधित अदालतों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप करने के लिए अदालत पर बोर (वकीलों का समूह) बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने हेतु न्यायालय के द्वारा समय समय पर निर्देश दिए गए हैं जिनमें न्यायलय के 5 निर्देशों में चार प्रत्याशी व दलों के लिए तथा एक निर्वाचन आयोग के लिए था।

प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन आयोग को फॉर्म भरकर देगा। बोल्ड अक्षरों में बताएगा कि उसके विरूद्ध कितने आपराधिक केस हैं।

प्रत्याशी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी उसे टिकट देने वाले राजनीतिक दल को भी देगा।

प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दल वेबसाइट पर डालेगे और उसका प्रचार भी करेंगें।

निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाताओं को पूरी जानकारी दे, ताकि वे बेहतर प्रतिनिधि चुन सके।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण अज्ञात नहीं रहा। लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट में पहली बार इसकी उपस्थिति मजबूती से अनुभूत की गई। यह आपराधिक गिरोह, पुलिस सीमा शुल्क अफसरों व राजनीतिक संरक्षकों के व्यापक नेटवर्क का नतीजा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सांसद या विधायक चुने गए वकीलों को वकालत से नहीं रोका जा सकता। जनप्रतिनिधि भले ही जनसेवक हैं लेकिन वह किसी व्यक्ति, फर्म, सरकार या कॉर्पोरेशन से वेतन लेने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है।

सी. राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तावित सुधार

सी. राजगोपालाचारी ने निर्वाचन में धन-बल और भ्रष्टाचार के बढ़ने से रोकने और स्वच्छ निर्वाचन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये।"

1. निर्वाचन का राष्ट्रीयकरण करने हेतु सरकार को निर्वाचन व्यय वहन करना चाहिए तथा मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
2. निर्वाचन के छः माह पूर्व राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अधीन एक कार्यकारी सरकार की स्थापना होनी चाहिए तथा प्रशासन को गैर-राजनीतिक बनाना चाहिये।
3. संसद प्रकार्यात्मक (व्यवसाय) तथा आनुपातिक आधार पर निर्मित होनी चाहिए। एक निर्वाचित आर्थिक परिषद जिसमें उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो तथा मजदूरों को राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों की जगह स्थान प्राप्त होना चाहिए।
4. राजनीकि दलों को औद्योगिक समूहों से प्राप्त मौद्रिक सहयोग की एक ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए तथा कम्पनियों को अपनी साधारण बैठक में उसे अनुमोदित करवाना चाहिए एवं बाद मे इसे प्रकाशित करवाना चाहिए प्रत्येक राजनीतिक दल के कोष का प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण होना चाहिए।

इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उसमें आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायाधीशों के द्वारा अनेक प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और उनको क्रियान्वित किया गया है। जो भारत की निर्वाचन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, सुस्पष्ट बनाने और पारदर्शिता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष:-

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि, वर्तमान परिदृश्य राजनीतिक दलों के परस्पर तानाकशी व्यवहार के मध्य एवं विभिन्न विषम परिस्थितियों के कारण अत्यधिक जटिल है जिसमें अनेक प्रकार के आक्षेप प्रत्याक्षेप भी विद्यमान हैं अतः इस दृष्टि से चुनाव प्रणाली में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान न्यायपालिका पर ही टिका हुआ है। अंततः देखा जाये

तो न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों से एक ओर संविधान और संसद द्वारा बनाई गई विधियों के सम्यक निर्वाचन में सहायता मिली है, तो दूसरी ओर कार्यपालिका के गलत निर्णयों को ठीक करने व सरकार की मनमानी पूर्ण कार्यवाहियों पर अंकुश लगाने में समर्थ सिद्ध हुए है। न्यायालय ने निर्वाचन और निर्वाचन आयोग की अनेक बार दिशा निर्धारित करने का भी प्रयास किया है। निर्वाचन प्रक्रिया में उत्तरोत्तर सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून, स्वच्छ जनप्रतिनिधि का चयन, नकारात्मक मतदान तथा निर्वाचन के नियमों में संशोधन के लिए समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवेचन किया गया है। न्यायपालिका ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए अनेक सराहनीय कदम उठाये है। लेकिन न्यायपालिका से और भी अपेक्षाएँ है। आज जब विधायिका और कार्यपालिका निर्वाचन सुधार के संबंध में अपनी उपयोगिता और सार्थकता पूरी तरह खो चुके है तो सभी की नजरें न्यायपालिका पर टिकी है। न्यायपालिका द्वारा दिये गये अनेक महत्वपूर्ण फैसले निर्वाचन सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे है।

REFERENCES

1. चौधरी, लाखाराम, भारत में चुनावी राजनीति एवं चुनाव सुधार के प्रयास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2019.

2. अग्रवाल, मनोज, चुनाव सुधार सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2015.

3. गोस्वामी, भालचन्द्र, विधि और सामाजिक न्याय, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, 2012.

4. जैन पुखराज, संसदीय व्यवस्था पुर्नविचार की आवश्यकता, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2012.

5. आर. एस., भारत में निर्वाचन व्यवस्था, चुनौतियां एवं सम्भावनाएं, ए. बी. डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008.

6. आढ़ा, आर.एस., भारत में निर्वाचन व्यवस्था चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, ए.बी. डी. पब्लिशर्स, जयपुर, 2008.

7. खण्डेला, मानचन्द, भारतीय राजनीति का भविष्य, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008.

8. आहुजा गुरुदास, भारतीय राजनीति में भाजपा का आगमन, राज कम्पनी प्रकाशन, दिल्ली, 2006.

9. कोठारी, रजनी, भारत में राजनीति कल और आज, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, 2005.

10. गहलोत, एन.एस., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दशा एवं दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2004.

11. कटारिया, सुरेन्द्र, भारतीय प्रशासन, नेशनल पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2003.

12. गोस्वामी, आचार्य बालचंद्र, भारत में चुनाव सुधार, दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 1999.